हरियाणा में 'पदमा' स्कीम के लिये 'लैंड-पूल पॉलिसी' निर्मित करने के निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 'पदमा' स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि 'पदमा' स्कीम के लिये ऐसी 'लैंड-पूल पॉलिसी' निर्मित की जाए, जिससे ज़मीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक-से-अधिक फायदा हो और गाँव में रोज़गार के अवसर बढ़ें।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की 'पदमा' स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब पचास एकड़ ज़मीन जुटाई जाएगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किये गए हैं, जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। राज्य के कई गाँवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडक्ट तैयार किये जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मज़बूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है।
- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुताबिक राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिये एक क्लस्टर बनाया जाए, जहाँ पर एमएसएमई की भाँति लोगों को उद्योग लगाने के लिये प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें। इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएँ मुहैया करवाई जाएंगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/instructions-to-prepare-land-pool-policy-for-padma-scheme-in-haryana